

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

फौज.प्रकरण क्र. 167 / 08
संस्थित दि.: 14 / 03 / 08

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

डोमाजी पिता बोमल्या प्रसाद हेडऊ, उग्र 51 साल
जाति कोष्ठी साकिन मोहबट्टा थाना बैहर,
जिला बालाघाट(म.प्र.)

..... आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 16 / 07 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 06 / 12 / 08 को समय 04:30 बजे, ग्राम पौनी थाना मलाजखण्ड में हिन्दूस्तान कॉपर लिमिटेड, मलाजखण्ड के कब्जे से लोहे का कबाड़ कीमती 10,000 /—रुपये की सम्पत्ति बर्झमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि इस्तगासा क्रमांक 3 / 06 दण्ड प्रक्रिया संहिता 41(1-4) की जांच एवं हिन्दूस्तान कॉपर प्रोजेक्ट के मैनेजर विश्वनाथ के कथन के आधार पर आरोपी डोमाजी के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में अपराध क्रमांक 17 / 08 अन्तर्गत धारा 379 का मामला पंजीबद्ध का आरोपी से मेटाडोर 407 एम.पी.50 / जी.0323 को जप्त कर एवं आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 06 / 12 / 08 को समय 04:30 बजे, ग्राम पौनी थाना मलाजखण्ड में हिन्दूस्तान कॉपर लिमिटेड, मलाजखण्ड के कब्जे से लोहे का कबाड़ कीमती 10,000 /—रुपये की सम्पत्ति बर्झमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

(06) अभियोजन साक्षी सुरेश विजयवार (अ.सा.07) का कहना है कि दिनांक 06.12.2006 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी डोमाजी से मेटाडोर 407 एम.पी.50-जी. 0323 में अवैध रूप से स्क्रेप भरकर ले जाते समय पौनी चौक पर गवाह रामू नेवारे और गोकुल के समक्ष लोहे के कबाड़ी स्क्रेप जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 बनाया। आरोपी को गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-2 बनाया। आरोपी को थाने लाकर 187 दिनांक 06.12.2006 रोजनामचा सान्हा में उल्लेख किया था। इस्तगासा क्रमांक 3/2006 है। आरोपी का कृत्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1-4) का था। रोजनामचा सान्हा की प्रति प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी विवेचनाकार राधेश्याम (अ.सा.08) का कहना है कि दिनांक 21.02.2008 को थाना मलाजखण्ड के रोजनामचा सान्हा क्रमांक 187 दिनांक 06.12.2006 के आधार पर उसने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 17/08 अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.वि. के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध किया, जो प्रदर्श पी-8 है। दिनांक 22.02.2008 को घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था। साक्षी गोकुल कुशरे, रामू नेवारे, चछद्रभान, विश्वनाथ के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था।

(07) किन्तु अभियोजन साक्षी गोकुल (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन के चार वर्ष पुरानी रात के 09:00 बजे ग्राम पौनी की है। सिव्योरिटी अधिकारी परमजितसिंह ने ट्रक में लोहा पकड़ा था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से मेटाडोर 407 एम.पी.50/जी.0323 लोहे का कबाड़ी का स्क्रेप भरा पकड़ा था साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी से जप्ती कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-2 उसके सामने बनाया गया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-3 का कथन दिया था एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी रामू नेवारे (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसे उसके कथन के दो वर्ष पूर्व सुबह 08:00 बजे थाना मलाजखण्ड में लकड़ी हटाने गया वहां पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवा लिए थे। उसके सामने आरोपी से पुलिस ने कोई सामान जप्त नहीं किया और न ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तारी किया था। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का मौका नहीं बनाया था। किन्तु मौका नक्शा प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 06.12.2006 को पुलिस ने उसके सामने आरोपी का मेटाडोर 407 एम.पी.50/जी.0323 रोका और मौके पर लोहे का सामान 9-10 विवेंटल कबाड़ी जप्त करने से इंकार किया और आरोपी को गिरफ्तार करने से भी इंकार किया। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-5 का कथन देने से भी इंकार किया।

(08) अभियोजन साक्षी चंद्रभान (अ.सा.03) का कहना है कि वर्ष 2006 पुलिस वालों ने स्क्रेप लोहा आदि पकड़ा था। उसकी पहचान कार्यवाही हेतु उसे थाना

मलाजखण्ड में बुलाया था और पहचान कार्यवाही की थी। शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। सामान हिन्दूस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखण्ड का था एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी विश्वनाथ (अ.सा.04) का कहना है कि दिनांक 22.02.2008 को थाना मलाजखण्ड की पुलिस ने सामान पकड़ा था। उसे पहचान कार्यवाही हेतु बुलाया था। लोहे का सामान उसने पहचाना था, शिनाख्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा इसी प्रकार अभियोजन साक्षी झनकलाल (अ.सा.05) का कहना है कि दिनांक 21.02.2008 को एच.जी.एल. मलाजखण्ड में वह केजूअल सप्लाय का काम करता था। शिनाख्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी का पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 21.02.2008 विश्वनाथ ने उसकी कम्पनी का सामान पहचाना था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि शिनाख्ती कार्यवाही उसके सामने हुई थी व इसी प्रकार अभियोजन साक्षी दिनेश अ.सा.06 का कहना है कि उसके सामने कोई पहचान कार्यवाही नहीं हुई। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। किन्तु शिनाख्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचन प्रश्न पूछने पर साक्षी इस बात से इंकार किया है कि पहचान की कार्यवाही उसके सामने हुई।

(09) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, उसे रंजिश वश झूठा फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी जप्ती, गिरफ्तारी एवं शिनाख्ती के साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। मात्र विवेचनाकर्ता ने अपने प्रकरण को बनाये रखते हेतु कथन किए हैं। विवेचनाकर्ता एवं प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद है। अतः संदेह का लाभ आरोपी को दिया जावे।

(10) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(11) अभियोजन साक्षी सुरेश विजयवार (अ.सा.07) का कहना है कि दिनांक 06.12.2006 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी डोमाजी से मेटाडोर 407 एम.पी.50-जी. 0323 में अवैध रूप से स्क्रेप भरकर ले जाते समय पौनी चौक पर गवाह रामू नेवारे और गोकुल के समक्ष लोहे के कबाड़ी स्क्रेप जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 बनाया। आरोपी को गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-2 बनाया। आरोपी को थाने लाकर 187 दिनांक 06.12.2006 रोजनामचा सान्हा में उल्लेख किया था। इस्तगासा क्रमांक 3/2006 है। आरोपी का कृत्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1-4) का था। रोजनामचा सान्हा की प्रति प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि रवानगी सान्हा उसने प्रकरण में पेश नहीं किया है तथा जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 में जप्तशुदा सामान का वजन अन्दाज से लिखा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह इलाका भ्रमण के लिए कितने बजे थाने से निकला उसे याद नहीं है।

(12) अभियोजन साक्षी विवेचनाकर्ता राधेश्याम (अ.सा.08) का कहना है कि दिनांक 21.02.2008 को थाना मलाजखण्ड के रोजनामचा सान्हा क्रमांक 187 दिनांक 06.12.2006 के आधार पर उसने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 17/08 अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.वि. के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध किया, जो प्रदर्श पी-8 है। दिनांक 22.

02.2008 को घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था। साक्षी गोकुल कुशरे, रामू नेवारे, चछद्रभान, विश्वनाथ के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी-8 तैयार किया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 06.12.2006 की है और थाने में सूचना 21.02.2008 की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो वर्ष विलम्ब से दर्ज की गई। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 07 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-6 उसके द्वारा तैयार किया गया था और पहचान कार्यवाही हेतु जनरल मैनेजर को दिया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि शिनाख्ती में प्रदर्श पी-6 के तीन कॉलम पहचानकर्ता द्वारा भरे गये शेष कॉलम उसके द्वारा भरे गये।

(13) अभियोजन साक्षी गोकुल (अ.सा.01) का कहना है कि घटना उसके कथन के चार वर्ष पुरानी रात के 09:00 बजे ग्राम पौनी की है। सिव्योरिटी अधिकारी परमजितसिंह ने ट्रक में लोहा पकड़ा था। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। किन्तु अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से मेटाडोर 407 एम.पी.50/जी.0323 लोहे का कबाड़ी का स्क्रेप भरा पकड़ा था साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी से जप्ती कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-2 उसके सामने बनाया गया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-3 का कथन दिया था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि सिव्योरिटी कार्ड ने उसके सामने मेटाडोर नहीं रोकी और न ही वह ग्राम पौनी में था।

(14) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी रामू नेवारे (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसे उसके कथन के दो वर्ष पूर्व सुबह 08:00 बजे थाना मलाजखण्ड में लकड़ी हटाने गया वहां पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवा लिए थे। उसके सामने आरोपी से पुलिस ने कोई सामान जप्त नहीं किया और न ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तारी किया था। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का मौका नहीं बनाया था। किन्तु मौका नक्शा प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 06.12.2006 को पुलिस ने उसके सामने आरोपी का मेटाडोर 407 एम.पी.50/जी.0323 रोका और मौके पर लोहे का 9-10 क्विंटल कबाड़ी सामान जप्त करने से इंकार किया और आरोपी को गिरफ्तार करने से भी इंकार किया। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-5 का कथन देने से भी इंकार किया।

(15) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी चंद्रभान (अ.सा.03) का कहना है कि वर्ष 2006 पुलिस वालों ने स्क्रेप लोहा आदि पकड़ा था। उसकी पहचान कार्यवाही हेतु उसे थाना मलाजखण्ड में बुलाया था और पहचान कार्यवाही की थी। शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। सामान हिन्दूस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखण्ड का था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पहचान कार्यवाही करवाने वाले

मलाजखण्ड थाने के पुलिस के हवलदार थे। विश्वनाथ पहचान कराने वाला अधिकारी नहीं था, प्रदर्श पी-6 की लिखा-पढ़ी प्रधान आरक्षक द्वारा की गई थी।

(16) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी विश्वनाथ (अ.सा.04) का कहना है कि दिनांक 22.02.2008 को थाना मलाजखण्ड की पुलिस ने सामान पकड़ा था। उसे पहचान कार्यवाही हेतु बुलाया था। लोहे का सामान उसने पहचाना था, शिनाख्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 03 में बताया है कि शिनाख्ती कार्यवाही थाने में पुलिस वाले मुंशजी ने की थी।

(17) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी झनकलाल (अ.सा.05) का कहना है कि दिनांक 21.02.2008 को एच.जी.एल. मलाजखण्ड में वह केजूअल सप्लाय का काम करता था। शिनाख्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी का पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 21.02.2008 विश्वनाथ ने उसकी कम्पनी का सामान पहचाना था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि शिनाख्ती कार्यवाही उसके सामने हुई थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-6 पर हस्ताक्षर पुलिस वालों ने उसे थाने में बुलाकर लिए थे। उसने हस्ताक्षर चंद्रभान और विश्वनाथ के कहने पर कर दिए थे।

(18) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी दिनेश (अ.सा.06) का कहना है कि उसके सामने कोई पहचान कार्यवाही नहीं हुई। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। किन्तु शिनाख्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी इस बात से इंकार किया है कि पहचान की कार्यवाही उसके सामने हुई।

(19) विवेचनाकर्ता राधेश्याम (अ.सा.08) का कहना है कि दिनांक 21.02.2008 को थाना मलाजखण्ड के रोजनामचा सान्हा क्रमांक 187 दिनांक 06.12.2006 के आधार पर उसने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 17/08 अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.वि. के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध किया। दिनांक 22.02.2008 को घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया था। साक्षी गोकुल कुशरे, रामू नेवारे, चछद्रभान, विश्वनाथ के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। किन्तु स्वतंत्र अभियोजन साक्षी गोकुल (अ.सा.01), झनकलाल (अ.सा.05), विश्वनाथ (अ.सा.04), चंद्रभान (अ.सा.03), रामू नेवारे (अ.सा.02), दिनेश (अ.सा.06) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन ही किया। आरोपी डोमाजी ने दिनांक 06/12/08 को समय 04:30 बजे, ग्राम पौनी थाना मलाजखण्ड में हिन्दूस्तान कॉपर लिमिटेड, मलाजखण्ड के कब्जे से लोहे का कबाड़ कीमती 10,000/-रुपये की सम्पत्ति बईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की। यह अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथन एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है।

(20) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन अपना प्रकरण युक्ति

युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि आरोपी डोमाजी ने दिनांक 06/12/08 को समय 04:30 बजे, ग्राम पौनी थाना मलाजखण्ड में हिन्दूस्तान कॉपर लिमिटेड, मलाजखण्ड के कब्जे से लोहे का कबाड़ कीमती 10,000/-रूपये की सम्पत्ति बईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की यह संदेहस्पद प्रतीत होता है। अतः संदेह का लाभ आरोपी डोमाजी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(21) परिणाम स्वरूप आरोपी डोमाजी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(22) प्रकरण में आरोपी डोमाजी पूर्व से जमानत पर है उसके पक्ष में निष्पादित पूर्व के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

(23) प्रकरण में जप्तशुदा मेटाडोर 407 एम.पी.50/जी.0323 सुपुर्दगी पर है। अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दगीनामा भारमुक्त हो तथा प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति लोहे की स्क्रेप उसके विधिवत् पंजीकृत स्वामी को वापस लोटाई जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)